संख्या 21 लो0नि0–1/2004–37(प्रा.आ.)/2003

प्रेषक,

टी. के. पत,
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा मे,

मुख्य अभियंता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तरांचल, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–1

देहरादून : दिनांक 5 जनवरी, 2004

विषय: जनपद पौडी गढ़वाल के विकास खण्ड रिखणीखाल में डेरियाखाल–चुण्डई–रिखणीखाल मोटर मार्ग का पुनर्निर्माण एवं डामरीकरण (ढाबखाल से रिखणीखाल तक) योजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 2941/24(36)यात्रा–उत्तरांचल/2003 दिनांक 16–12–2003 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 2986/लो.नि.–2/2003–37(प्रा.आ.)/2003 दिनांक 02–01–2004 द्वारा 22 कार्यों हेतु रु0 911.50 लाख की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष में रु0 14.40 लाख के व्यय की भी स्वीकृति प्रदान की गई है। उपरोक्त शासनादेश के क्रम संख्या–15 पर अंकित डौटियाल–इन्दूखाल मोटर मार्ग (लम्बाई 5.00कि.मी.) हेतु रु0 51.00 लाख की धनराशि की स्वीकृति प्रदान करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रस्तगत कार्य हेतु रु0 1.00 लाख का धनावंटन किया गया है। उपरोक्त कार्य की स्वीकृति को आप द्वारा किये गये प्रस्तावानुसार निरस्त करते हुए इसके स्थान पर डेरियाखाल–चुण्डई–रिखणीखाल मोटर मार्ग का पुनर्निर्माण एवं डामरीकरण (ढाबखाल से रिखणीखाल तक) के शासन को उपलब्ध कराये गये रु0 43.96 लाख (रुपये तेंतालीस लाख पिच्यानवे हजार मात्र) के आगणन के परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी इतनी ही धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रस्तगत कार्य हेतु रु0 1.00 लाख (रुपये एक लाख मात्र) की धनराशि के व्यय की भी श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– शासनादेश संख्या 2986/लो.नि.–2/2003–37(प्रा.आ.)/2003 दिनांक 02–01–2004 को केवल इस सीमा तक ही संशोधित समझा जायेगा और उक्त शासनादेश द्वारा अवमुक्त रु0 1.00 लाख की धनराशि व्यय न की गयी हो तो वो शासन को समर्पित कर दी जायेगी और यदि व्यय कर दी गयी हो तो इस धनराशि को इस पुनरीक्षित योजना के समाप्त होने पर उसकी लागत में समायोजित कर अग्रेत्तर प्रस्ताव किया जाऐगा।

3– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियंता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियंता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

4– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

5– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत मार्म है, स्वीकृत मार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

6– एक मुश्त प्राक्किलन को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

7– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरुप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

8– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भू–गर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थलि आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरुप कार्य किया जाय।

9– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए।

10– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए।

11– कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण ऐजन्सी/अधिशासी अभियंता का होगा। समयबद्ध रुप से कार्य करने हेतु सम्बन्धित अधिकारी / निर्माण ऐजेन्सी से अनुबन्ध कर पैनल्टी क्लास लगाये जाने पर विचार कर सकते है।

12– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31–3–2004 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय।

13– आगामी किश्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर दिया जायेगा और प्रस्तर – 2 के विषय में स्थिति स्पष्ट करके ही अवशेष धनराशि का प्रस्ताव किया जायेगा।

14– कार्य पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2003–04 में अनुदान संख्या–22 के लेखा शीर्षक –5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय –04 जिला तथा अन्य सड़कें –आयोजनागत –800 –अन्य व्यय –03 राज्य सेक्टर –02 नया निर्माण कार्य –24 वृहत्त निर्माण कार्य की मद के के नामे डाला जायेगा।

15– यह आदेश वित्त अनुभाग–3 के अशा0 संख्या 2705 वित्त अनुभाग–3/2003 दिनांक 3 फरवरी, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(टी. के. पंत)
उप सचिव।

......3

संख्याः 82 (1)लो0नि0-1/2004 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम) उत्तरांचल, इलाहाबाद/देहरादून।
2. आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौड़ी।
3. श्री एल.एम. पंत, अपर सचिव वित्त (बजट अनुभाग), उत्तरांचल शासन।
4. मुख्य अभियंता स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।
5. जिलाधिकारी/ कोषाधिकारी, पौड़ी।
6. निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी को मा0 मुख्य मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
7. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लोक निर्माण को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
8. अधीक्षण अभियंता, 36वाँ वृत्त लो.नि.वि., पौड़ी।
9. वित्त अनुभाग-3/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरांचल शासन।
10. लोक निर्माण अनुभाग-2, उत्तरांचल शासन।
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(टी. के. पंत)
उप सचिव।